

Order Sheet [Contd]

Case No 122/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12-04-17	<p>आवेदक/अभियुक्त रिकू उर्फ रिका की ओर से श्री ए०के०समाधिया अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप०क्र० 45/17 धारा 379 भा०दं०वि० की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त की ओर से अधि. श्री ए०के० समाधिया द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरुद्ध गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त कृषि कार्य एवं दूध का बिक्रय कर अपने परिवार का भरण पोषण का कार्य करता है। यदि अधिक समय तक अभिरक्षा में रहा तो उसके परिवार के समक्ष भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध नहीं किया है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया है।</p> <p>प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर मोटरसाइकिल चोरी का आरोप है। वर्तमान में भिण्ड जिले में वाहन चोरी की घटनाएं अत्यधिक बढ रही हैं। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर चोरी गया वाहन जप्त किया गया है। अतः उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रकरण की परिस्थितियां को देखते हुए आवेदक को प्रतिभूति पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० निरस्त किया जाता है।</p> <p>आदेश की प्रति के साथ केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला— भिण्ड म०प्र०</p>	

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)